

आदेश

श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रामदास सिंह, पंच, ग्राम पंचायत खैरी, वार्ड नं० 08 खण्ड उकलाना, जिला हिसार द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र दिनांक 31.01.2025 जो उपायुक्त, हिसार के सिफारिश पत्र क्रमांक/चुनाव सहायक/पंचायत/2024/91 दिनांक 02.04.2025 द्वारा प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
22.04.2025

दुष्मांता कुमार बैहरा, आई0ए0एस0
महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई०सी०ए०२-2025/19625-31 दिनांक 28.4-25
इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 02 सैक्टर-17, पंचकुला।
2. उपायुक्त, हिसार को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक/चुनाव सहायक/पंचायत/2024/91 दिनांक 02.04.2025 के सन्दर्भ में
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, हिसार।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, उकलाना (जिला हिसार)।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत खैरी, खण्ड उकलाना, जिला हिसार।
6. श्री सुनील कुमार पुत्र श्री रामदास सिंह निवासी गांव खैरी, तहसील उकलाना, जिला हिसार।
17. आई०टी० सैल, मुख्यालय।

Mohit


28/04/2025
अधीक्षक (चुनाव)

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

8